संख्या:610/2023/1308/35-4-2023

प्रेषक,

डॉ0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 31 मार्च, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत शासनादेश में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या:602/2023/1300/35-4-2023 दिनांक 31 मार्च,2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद बिजनौर में सड़क निर्माण से सम्बन्धित 01 कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त कार्य हेतु टंकण त्रुटिवश कार्य दायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अंकित हो गयी है। उक्त कार्य हेतु **लोक निर्माण विभाग** कार्यदायी संस्था होगी।

2- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की अन्य शर्त यथावत रहेगी।

भवदीय,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

संख्या:610/2023/1308(1)/35-4-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग ।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मुरादाबाद मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बिजनौर।
13- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-2, लोक निर्माण विभाग, बिजनौर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in